हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

वादी की बहस पर मनन किया, पत्रावली मे सलंग्न दस्तावेजो का अध्ययन किया। न्यायहित मे वकील वादी का वाद पत्र स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि ग्राम धोड़ास परवार हल्का धोड़ास तहसील माण्डल मे स्थित हाल खाता संख्या 541 मे अंकित आराजी नं. 225 रकबा 18 बिस्वा भूमि मे प्रतिवादीगण वादी को जबरन बेदखल नही करे, वादी के उपयोग उपभोग व फसल काश्त करने मे किसी प्रकार बाधा उत्पन्न न तो स्वंय उत्पन्न करे, न किसी अन्य से करावे। प्रतिवादीगण वादी की आराजियात या इसके किसी भू-भाग को प्रतिवादीगण अपनी आराजी मे नही मिलावे। वादी एंव प्रतिवादीगण मौके की यथास्थिति बनाये रखवे। तदनुसार डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

उपखण्ड अधिकारी
मांडल जिला भीलवाड़ा